न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः—495 / 17 ((RCMS No. 2017 / 00530) 18 आयुध अधिनियम 1959)

शकूर खां पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी बालघाट थाना बालघाट जिला करौली

.........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थितिः—

1. श्री गंगा राम शर्मा वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 01.06.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356—9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय / 15 / 1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 29 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अपीलान्ट एक भूतपूर्व सैनिक है उसका परिवार गॉव में रहता है और सेवा निवृति के बाद एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में निजी संस्थान गहलोत टैक्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड हिण्डौन रोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में कार्य करता है। जिला मजिस्ट्रेट करौली ने दिनांक 29.12.2014 को जारी किये गये आदेश के चरण संख्या 3 में यह दर्ज किया था कि मंदिर कंपनीज, बैक आदि की सुरक्षा में लगे हुऐ सुरक्षा गार्ड आदि में हैं उन पर यह आदेश लागू नही होगा। अपीलान्ट एक निजी संस्थान में सुरक्षा प्रहरी के रूप में सेवारत रहा है जिसके लिये गन का होना आवश्यक है। इस कारण अपीलान्ट को शस्त्र जमा कराने की आवश्यकता नही थी। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनुज्ञापत्र को अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया था जबकि शस्त्र अनुज्ञापत्र को निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अन्दर मियाद अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश कमांक न्याय/पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नही कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नही कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र कम सं0 29 पर दर्ज है।

Copy - Not Official

अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध दिनांक 10.11.2017 को अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रकरण में लिबरल ब्यू लेते हुऐ अपील पेश करने में हुऐ देरी को कण्डोन करते हुऐ अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली के पत्रांक 9356 दिनांक 29.12.2014 में यह आदेश निम्न पर लागू नही होगा : के बिन्दु सं0 3 में यह उल्लेख है कि '' मंदिर कंपनीज, बैक आदि की सुरक्षा में लगे हुऐ सुरक्षा गार्ड आदि में हैं उन पर यह आदेश लागू नही होगा। '' अपीलान्ट एक निजी संस्थान में सुरक्षा प्रहरी के रूप में सेवारत रहा है। अपीलान्ट ने गहलोत टेक्टर्स प्रा0 लिमि0 का पत्र दिनांक 27.10.2017 भी पेश किया है जिससे अपीलान्ट का दिनांक 16.12.2014 से 31.03.2015 तक उक्त कम्पनी में कार्य किया जाना प्रकट है। सुरक्षा गार्ड के लिये गन का होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1657 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 29 थाना बालघाट शस्त्र अनुज्ञापत्र 3574 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official